(c) whether Government recovered the amount of excise duty due;

(d) who are the officials responsible for evasion of excise duty; and

(e) whether any action has been taken against them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) There is no case in which penalty of Rs. 12 lakhs for evasion of duty has been imposed on M/s. Anglo French Textiles Pondicherry. However, a case of evasion based on information was registered on 3-3-93. Central Excise duty payable is estimated to be approx. Rs. 12 lakhs and has been paid by the assessee on 4-3-93.

(b) and (c) The total amount of excise duty payable by them as confirmed demands, is Rs. 5,36,180/-. Out of this amount Rs. 35,000/- has been paid as predeposit and the balance amount is stayed by the Appellate Authority.

(d) and (e) Since the case mentioned at (a) above has been registered recently, the issue of responsibility of the officials is still under investigation.

प्रशासनिक व्यय में कटौती

3518. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान अपने प्रशासनिक व्यय में कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वर्ष 1991-92 की तुलना में चालू वर्ष में प्रशासनिक व्यय कम होने की बजाय बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो व्यय में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के यात्रा व्यय में भारी वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस शीर्ष में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित धनराशि की तुलना में कितनी अधिक धनराशि व्यय की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) : सरकार का प्रशासनिक व्यय में कटौती करने का हमेशा प्रयास रहा है। किन्तु संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत निर्धारित लेखा वर्गीकरण में प्रशासनिक व्यय के नाम से कोई शीर्ष नहीं है। इस वर्गीकरण में लेन-देन मुख्यत: "सामान्य सेवाएं" "सामाजिक सेवाएं" और "आर्थिक सेवाएं" के अन्तर्गत दर्ज किये जाते हैं। सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत अन्य शीर्षों के अलावा (1) राज्यों के अंग, (2) आय और व्यय पर करों की उगाही, (3) सम्पत्ति और पूंजीगत लेन-देनों पर करों की उगाही, (4) उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं पर करों की उगाही, (5) प्रशासनिक सेवाओं के क्षेत्रों के अन्तर्गत होने वाले व्यय दर्ज किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त "सामाजिक सेवाओं" और "आर्थिक सेवाओं" के क्षेत्र में सचिवालयी व्यय दर्ज करने के लिए शीर्ष हैं। इन शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में संशोधित अनुमान व्यय क्रमश: 3905 करोड़ रु०, 4083 करोड़ रु० तथा 4738 करोड़ रु० हुआ।

(घ) और (ङ) : वर्ष 1992-93 के लिए यात्रा व्यय के अन्तर्गत मंत्रियों का बजट अनुमान 5.5 करोड़ रु० था। इस शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 के लिए

35 करोड़ रु० के संशोधित अनुमानों का प्रस्ताव किया गया है। इसमें से 17-3-1993 तक लगभग 32 करोड़ रु० की राशि खर्च हो चुकी है।

Setting up of F. M. Radio Stations in Madhya Pradesh

3519. SHRI DILIP SINGH JUDEV : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state;

(a) what is the number of F. M. Radio stations set up so far/proposed to be set up during the Eighth Plan Period at different places in Madhya Pradesh;

(b) whether Government have a proposal to set up a Regional F. M. station at Raigarh in Madhya Pradesh; and

(c) if so, the steps taken in that direction ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO) : (a) 10 F. M. Stations/Transmitters have been set up so far and are in operation. F. M. Transmitters at three more places viz. Guna, Sagar and Jabalpur have been planned to be set up during the VIIIth Plan period.

(b) and (c) : A local radio station at Raigarh in Madhya Pradesh with 2x3 KW FM Transmitter and Multipurpose Studios has already been commissioned.

कम शक्ति के ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए विनिर्धारित स्थान

3520. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्थानों पर कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने की योजना है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये ट्रांसमीटर स्थापित किए जा चुके हैं; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये ट्रांसमीटर स्थापित नहीं किये जा सके और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) : दूरदर्शन की 1990-91, 1991-92 और 1992-93 की वार्षिक योजनाओं के भाग के रूप में जिन स्थानों पर अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है और जहां इस प्रकार के टेलीविजन ट्रांसमीटर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, उनके राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार नाम विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)। शेष स्थानों पर संसाधनों की उपलब्धता और अपेक्षित आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं पर निर्भर करते हुए चरणों में अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर लगाये जाने की परिकल्पना है।